तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/4/18	वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 24/2/18 को पेश हो। SDOK
24/2/18	वकील वादी उपस्थित। दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से दा० हो सुनाया। SDOK

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/216 सन् 2012

वउनवान

1. श्रीभानसिंह पुत्र शिवसिंह जाति जाट निवासी सौंख
2. बलवीरसिंह पुत्र शिवसिंह जाति जाट निवासी सौंख

तहसील कठूमर जिला अलवर

----- वादीगण

बनाम

1. ब्रहमसिंह उर्फ प्रकाश पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी सौंख
2. तारा पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी सौंख तहसील कठूमर
3. उप पंजीयक कठूमर

-- प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :-

श्री भीमसिंह राणा एडवोकेट – वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक 28.02.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 355 रकवा 0.47 हे. 377 रकवा 0.44 हे. ग्राम भदीरा तहसील कठूमर में स्थित है। वादीगण संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। संयुक्त हिन्दु परिवार में रहते हुये परिवार के मुखिया/कर्ता मोरध्वजसिंह ने ग्राम सौंख, भदीरा, बराडा में जमीनें खरीदी थी तथा खरीदी हुई जमीनों को संयुंक्त परिवार के कर्ता श्री मोरध्वजसिंह ने अपने नाम कराया था। विवादित आराजी वादीगण के संयुंक्त परिवार की खरीदशुदा जमीन होने के कारण मुखिया मोरध्वजसिंह के नाम दर्ज थी। वादीगण के संयुक्त परिवार के पास करीब 300 वीघा जमीन ग्राम सौंख, बराडा, भदीरा में थी। जिस समस्त आराजी का अर्सा करीब 45 साल पहले वादीगण के परिवार के मध्य बहामी वंटवारा हो गया था जिस वहामी वंटवारा में विवादित आराजी वादीगण के पिता शिवसिंह के हक वो कब्जे में आई थी। लेकिन विवादित आराजी मोरध्वजसिंह के नाम दर्ज रेकार्ड थी।

Scanned by CamScanner

वादीगण विवादित आराजी पर वक्त वहामी वंटवारा से वहैसियत खातेदार के प्रतिवादीगण व परिवार के अन्य सदस्यों की खुली जानकारी में काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर काविज कृषक खातेदार है। लेकिन विवादित आराजी संयुक्त परिवार के कर्ता श्री मोरध्वजसिंह के नाम दर्ज होने के कारण उनके फौत हो जाने पर उसके वारिस रघुवीरसिंह, महेन्द्रसिंह,प्रहलादसिंह के नाम वहिस्सा बराबर दर्ज हो गई तथा महेन्द्रसिंह ने विवादित आराजी में से अपना 1/3 हिस्रूसा विना कोई जरे बदल लिये तथा विना मौके पर कब्जा लिये दिये ही नुमाइसी वयनामा दिनांक 20.04.2009 से प्रतिवादी नम्बर 1,2 की मृतक माता रम्बूली के हक में वेचान कर दी। जो रजिस्टर्ड वयनामा प्रारम्भ से ही शून्य नल एण्ड बॉयड होने से शून्य करार दिये जाने योग्य है। रघुवीरसिंह, प्रहलाद ने एक ईकरारनामा दिनांक 27.04.2009 को वादीगण के हक में इस आशय का भी तहरीर कराकर दिया था जिस कारण वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1,2 की मां रम्बूली के नाम दर्ज इन्द्राज को कलमजन कराकर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण को खातेदार मानने से इन्कार हो रहे है। जवकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर वादीगण का ही बहामी वंटवारा से कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति है जो रम्बूली के नाम के इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी से वादीगण को वेदखल करना चाहते है तथा अपने नाम विरासत इन्तकाल खुलवाकर उक्त आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। यदि प्रतिवादीगण ने ऐसा कर दिया तो वादीगण को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी से प्रतिवादी संख्या 1,2 की मां रम्बूली के नाम 1/3 हिस्सा के इन्द्राज को कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने, प्रतिवादीगण को पाबन्द करने तथा दावा वादीगण मुताविक अनुतोष डिक्री करने का निवेदन किया है। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1–2 रजिस्टर्ड एडी तामील हो जाने के बाबजूद भी हाजिर अदालत नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 24.03.2014 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण ने अपने दावा की ताइद में जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 प्रदर्श–1, जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 प्रदर्श–2 वाके ग्राम सौंख, पोस्टल रसीद दिनांक 20.04.2009 प्रदर्श–3, नकल वयनामा प्रदर्श–4,स्टाम्प वंटवारा प्रदर्श–5, छाया प्रति प्रार्थना पत्र 11.05.2009 प्रदर्श–6, असल स्टाम्प दिनांक 27.04.2009 प्रदर्श–7 पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

Scanned by CamScanner

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी श्रीभानसिंह पी डब्ल्यू 1, पी डब्ल्यू 2 गवाह जगदीश के वयान कराये।

वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण की संयुक्त पैत्रिक सम्पत्ति है। जो वादीगण के चाचा के नाम रेकार्ड में दर्ज थी। मुताविक बहामी वंटवारा विवादित आराजीयात वादीगण के हक हिस्सा में आई है। विवादित आराजीयात मोरध्वजसिंह द्वारा हिन्दु परिवार के कर्ता के रूप में अपने नाम से क्रय की थी जिस पर कब्जा काश्त वादीगण का ही रहा है। पूर्व खातेदार मोरध्वजसिंह के फौत होने पर उनकी विरासत से भूमि वारिसान रघुवीरसिंह प्रहलादसिंह एंव महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज हुई। महेन्द्रसिंह ने अपने 1/3 हिस्से का विक्रय श्रीमति रम्बोली के नाम कर दिया। जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1,2 है। विवादित आराजी के 2/3 हिस्से को वादीगण ने जरिये विक्रय पत्र खरीद लिया है क्योंकि इस पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। महेन्द्रसिंह के हिस्से पर भी वादीगण ही काविज काश्त है। पटवारी हल्का सौंख ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.08.2009 प्रदर्श 6 में विवादित आराजीयात पूर्ण पर वादीगण का कब्जा काश्त माना है। विक्रेता महेन्द्रसिंह के भाईयों ने शपथ पत्र पेश किया है कि विवादित आराजीयात सम्पूर्ण रकवा वादीगण के कब्जे काश्त में रही है। अतः वादीगण का दावा मुताविक अनुतोष डिक्री किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल रेकार्ड का अनुशीलन किया। बहस अधिवक्ता वादीगण पर मनन किया। मुताविक जमाबन्दी ग्राम भदीरा संवत् 2062 से 2065 प्रदर्श1 के खाता संख्या 78 पर वादपत्र में विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 355 रकवा 0.47 हे. खसरा नम्बर 377 रकवा 0.44 हे. के साथ साथ खसरा नम्बर 57 रकवा 1.21 हे. व खसरा नम्बर 95 रकवा 0.86 हे. खातेदारान रघुवीर पुत्र मोरध्वजसिंह हिस्सा 1/3, महेन्द्रसिंह पुत्र मोरध्वज हिस्सा 1/3, प्रहलाद पुत्र मोरध्वज हिस्सा 1/3 कौम जाट सा0 सौंख रेकार्ड दर्ज है। मुताविक जमाबन्दी प्रंदर्श–2 ग्राम भदीरा संवत् 2066 से 2069 के खाता संख्या 86 पर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 355, 357 रम्बूली पत्नी रतनसिंह हिस्सा 1/3, श्रीभानसिंह, बलवीरसिंह पुत्रान शिवसिंह हिस्सा 2/3 कौम जाट सा0 सौंख खातेदार दर्ज रेकार्ड है। वादीगण ने वाद पत्र के चरण संख्या 3 में सजरा के साथ उल्लेख किया है कि विवादित आराजीयात वादीगण के संयुंक्त परिवार की खरीदशुदा जमीन होने के कारण मुखिया मोरध्वजसिंह के नाम दर्ज थी। बाहमी वंटवारा में विवादित आराजी वादीगण के पिता शिवसिंह के हक वो कब्जे में आई थी। वाद पत्र के कथन से ही विवादित आराजीयात मोरध्वजसिंह की खरीदशुदा भूमि होना सावित होता है।

Scanned by CamScanner

परन्तु पत्रावली में मोरध्वजसिंह का संयुक्त हिन्दु परिवार का मुखिया कर्ता होने एंव संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता की हैसियत से भूमि अपने नाम कय करने का रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। विवादित आराजीयात मोरध्वजसिंह की विरासत से उसके वारिसान के नाम दर्ज होने एंव वारिसान रघुवीरसिंह प्रहलादसिंह पुत्रान मोरध्वजसिंह द्वारा 2/3 हिस्से का विक्रय वादीगण को एंव वारिस खातेदार महेन्द्रसिंह पि0 मोरध्वजसिंह द्वारा अपने 1/3 हिस्से का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2009 के प्रतिवादी संख्या 1,2 की माता स्व0 रम्बूलीदेवी पत्नी श्री रतनसिंह जाति जाट के नाम करवाने में किसी तरह की अनियमितता प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होती है। विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2009 प्रदर्श 3 में भूमि पर कब्जा क्रेता को संभला देने का उल्लेख पर्याप्त है। प्रदर्श 6 पटवारी द्वारा पडौसी को बताये अनुसार मौके पर शिवसिंह पुत्र हुकमसिंह का कब्जा अंकित करना प्रासंगिक नहीं है। प्रतिवादीगण की मां रम्बूली के नाम दर्ज विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से पर कब्जे के उल्लेख के आधार पर वादीगण के हक अधिकार सावित नहीं होते है। जवकि विवादित आराजीयात के 2/3 हिस्से को भी वादीगण ने क्रय करना स्वीकार किया है। विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2009 को शून्य घोषित करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि वादीगण के हक हकूक विरूद्व प्रतिवादीगण सावित नहीं होते है। अतः दावा वादीगण सावित ना होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

(आदेश)

दावा वादीगण वावत आराजी खसरा नम्बर 355 रकवा 0.47 हे. 377 रकवा 0.44 हे. वाके ग्राम सौंख तहसील कठूमर सावित ना होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 28.02.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस
राजस्व वाद संख्या 1/216 सन् 2012
वउनवान

1.श्रीभानसिंह पुत्र शिवसिंह जाति जाट निवासी सौंख
2.बलवीरसिंह पुत्र शिवसिंह जाति जाट निवासी सौंख
तहसील कठूमर जिला अलवर

——— डिकीदार

बनाम

1.ब्रहमसिंह उर्फ प्रकाश पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी सौंख
2.तारा पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी सौंख तहसील कठूमर
3.उप पंजीयक कठूमर

——— मदयूनान

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादीगण वावत आराजी खसरा नम्बर 355 रकवा 0.47 हे. 377 रकवा 0.44 हे. वाके ग्राम सौंख तहसील कठूमर सावित ना होने से खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 28.02.2018 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner